



भारत के उप-राष्ट्रपति



भारत के उप-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद

उत्पत्ति

इस पद को अमेरिकी उप-राष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 63-71

निर्वाचन

अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित

“इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य + मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधायिकाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं (राष्ट्रपति चुनाव के लिये निर्वाचक मंडल के विपरीत)”

“उप-राष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव आयोजित कराने की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग में निहित है (अनुच्छेद 324)”

योग्यता

भारत का नागरिक- न्यूनतम आयु 35 वर्ष

प्रथम तथा वर्तमान उप राष्ट्रपति

डॉ एस राधाकृष्णन; जगदीप धनखड़

कार्यकाल

5 वर्ष; पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र

पद रिक्तता

- उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग-पत्र दे सकता है
- राज्यसभा के सदस्यों (सभी तत्कालीन) के प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा के सदस्यों की सहमति (साधारण बहुमत) के आधार पर हटाया जा सकता है
 - ▶ इसे हटाए जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है
- संविधान में इसे पद से हटाने के संबंध में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है

शक्तियाँ

- राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष- शक्तियाँ एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान
- कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में (अधिकतम 6 माह)- जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो

“यह अमेरिकी उप-राष्ट्रपति के पद से भिन्न है क्योंकि अमेरिका का उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है”

“कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है”



[और पढ़ें...](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/vice-president-of-india-1>

